रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032020-218711
CG-DL-E-17032020-218711

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 983] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 2020/फाल्गुन 26, 1941
No. 983] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 2020/PHALGUNA 26, 1941

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2020

का.आ. 1090(अ).—यत: केन्द्र सरकार का दिल्ली मुख्य योजना -2021 के संबंध में जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 26.10.2019 के का.आ. 3869(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से पैंतालीस (45) दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा(3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यत: प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/ सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित जांच और सुनवाई बोर्ड द्वारा विचार कर लिया है और दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन भी प्रदान कर दिया है।

3. यत: केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है ।

4. अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है :

<u>संशोधन:</u>

दि.मु.यो.-2021	
अध्याय 15 : मिश्रित उपयोग विनियम	
विद्यमान प्रावधान	**प्रस्तावित संशोधन/परिवर्तन**
पैरा 15.3 **पैरा 15.3.2** कॉलोनियों की विभिन्न श्रेणियों में अनुमेय मिश्रित उपयोग की सीमा को निम्नानुसार और स्पष्ट किया जाता है :- **1. श्रेणी 'क' और 'ख' में आने वाली कॉलोनियों में** (द्वितीय बुलेट) • ''अन्य कार्यकलाप'' जैसा कि पैरा 15.7.1 में परिभाषित है, पैरा नं.-15.7 में दी गई शर्तों के अधीन गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम और प्री-प्राइमरी स्कूलों तक सीमित हैं। ये उन प्लाटों में अनुमत होंगे, जो नियमित प्लॉटिड विकास में कम से कम 18 मी. मार्गाधिकार वाली सड़कों से लगते होंगे क्योंकि ये कार्यकलाप 'सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं' के रूप में हैं। नए बैंकों ~~**और फिटनेस केंद्र, स्वास्थ्य केंद्रों**~~ तथा गैर सरकारी संगठनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। बैंक जो दिनांक 07.09.2006 तक विद्यमान हैं, फिटनेस केंद्र, जो ~~**दिनांक 12.08.2008 तक विद्यमान हैं**~~, स्वास्थ्य केंद्र एवं गैर सरकारी संगठन, जो दिनांक 07.02.2007 तक विद्यमान हैं, (पैरा 15.7.1 में यथा परिभाषित), और समय-समय पर इस संबंध में जारी अधिसूचनाओं के अनुसार हैं, और अधिसूचना की तिथि को कम से कम 18 मी. मार्गाधिकार की सड़कों से लगे हुए प्लाटों पर हैं, कार्य करते रहेंगे।	**पैरा 15.3** **पैरा 15.3.2** कॉलोनियों की विभिन्न श्रेणियों में अनुमेय मिश्रित उपयोग की सीमा को निम्नानुसार और स्पष्ट किया जाता है :- **1. श्रेणी 'क' और 'ख' में आने वाली कॉलोनियाँ में** (द्वितीय बुलेट) ''अन्य कार्यकलाप'' जैसा कि पैरा 15.7.1 में परिभाषित है, पैरा -15.7 में दी गई शर्तों के अधीन गेस्ट हाउस नर्सिंग होम और प्री-प्राइमरी स्कूलों तक सीमित हैं। ये उन प्लाटों में अनुमत होंगे, जो नियमित प्लॉटिड विकास में कम से कम 18 मी. मार्गाधिकार वाली सड़कों से लगते होंगे क्योंकि ये कार्यकलाप 'सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं' के रूप में हैं। नए बैंक और गैर सरकारी संगठन अनुमेय नहीं होंगे। तथापि बैंक जो दिनांक 07.09.2006 तक विद्यमान हैं और गैर-सरकारी संगठन जो दिनांक 07.02.2007 तक विद्यमान हैं, **फिटनेस केन्द्र और स्वास्थ्य केन्द्र** (पैरा 15.7.1 में यथा परिभाषित) और समय-समय पर इस संबंध में जारी अधिसूचनाओं के अनुसार हैं, और अधिसूचना की तिथि को कम से कम 18 मी. मार्गाधिकार की सड़कों से लगे हुए प्लाटों पर हैं, कार्य करते रहेंगे।
पैरा 15.7 अन्य कार्यकलाप ख iii) डे-स्पा/वजन कम करने के केंद्र/आयुर्वेदिक उपचार प्रदान करने वाले आयुर्वेदिक केंद्र/फिटनेस एवं सौंदर्य संबंधी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाले सैलूनों सहित स्वास्थ्य केंद्र ~~**जो दिनांक 07.02.2007 को संचालित थे।**~~	पैरा 15.7 अन्य कार्यकलाप ख iii) डे-स्पा/वजन कम करने के केंद्र/आयुर्वेदिक उपचार प्रदान करने वाले आयुर्वेदिक केंद्र/फिटनेस एवं सौंदर्य संबंधी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाले सैलूनों सहित स्वास्थ्य केंद्र।
ड. फिटनेस केंद्र (जिम, योग/ध्यान केंद्र सहित) ~~**दिनांक 12.08.2008 को यथा विद्यमान**~~ ।	ड. फिटनेस केंद्र (जिम, योग/ध्यान केंद्र सहित) ।

पैरा 15.7.3 iv) मुख्य योजना मार्गों और जोनल येाजना मार्गों से सटे भूखंडों में चल रहें नर्सिंग होम, डे- स्पा/वजन कम करने के केंद्रों/आयुर्वेदिक उपचार प्रदान करने वाले आयुर्वेदिक केंद्र/फिटनेस और सौंदर्य संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले सैलूनों सहित स्वास्थ्य केंद्र निर्मित क्षेत्र के 100 प्रतिशत तक अनुमेय होंगे और प्लॉट के आकार की सीमा लागू नहीं होगी। vi) प्री-प्राइमरी स्कूल (उनके अलावा, जो व्यावसायिक स्ट्रीट से सटे भूखंडों पर हों) केवल भू तल पर अनुमेय ग्राउंड कवरेज तक सीमित होगा। फिटनेस केंद्र (जिम, योग/ध्यान केंद्र सहित), **~~(उनके अलावा जो व्यावसायिक स्ट्रीट से सटे भूखंडों पर हों)~~** की अनुमति सभी तलों पर दी जाती है। इसकी अनुमति भवन उप-विधियों के संगत प्रावधानों, संरचनात्मक सुरक्षा मानदंड़ों और अग्निशमन अनापत्ति की शर्त के अधीन बेसमेंट में भी दी जाती है यदि बेसमेंट का उपयोग प्लॉट पर अनुमेय एफ.ए.आर. से अधिक हो जाता है तो ऐसे अधिक एफ.एआर. का उपयोग सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उपयुक्त प्रभारों का भुगतान करने की शर्त के अधीन किया जाएगा।	**पैरा 15.7.3** iv) मुख्य योजना मार्गों और जोनल येाजना मार्गों से सटे भूखंडों में चल रहें नर्सिंग होम, डे- स्पा/वजन कम करने के केंद्रों/आयुर्वेदिक उपचार प्रदान करने वाले आयुर्वेदिक केंद्रों/फिटनेस और सौंदर्य संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले सैलूनों सहित स्वास्थ्य केंद्र निर्मित क्षेत्र के 100 प्रतिशत तक अनुमेय होंगे और प्लॉट के आकार की सीमा लागू नहीं होगी। **अधिसूचना की तिथि से नए स्वास्थ्य केंद्र के लिए केवल भूतल पर और बेसमेंट में अनुमति दी जाएगी ।** vi) प्री-प्राइमरी स्कूल (उनके अलावा, जो व्यावसायिक स्ट्रीट से सटे भूखंडों पर हों) केवल भू तल पर अनुमेय ग्राउंड कवरेज तक सीमित होगा। फिटनेस केंद्र (जिम, योग/ध्यान केंद्र सहित) की अनुमति सभी तलों पर दी जाती है। इसकी अनुमति भवन उप-विधियों के संगत प्रावधानों, संरचनात्मक सुरक्षा मानदंड़ों और अग्निशमन अनापत्ति की शर्त के अधीन बेसमेंट में भी दी जाती है यदि बेसमेंट का उपयोग प्लॉट पर अनुमेय एफ.ए.आर. से अधिक हो जाता है तो ऐसे अधिक एफ.ए.आर. का उपयोग सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उपयुक्त प्रभारों का भुगतान करने की शर्त के अधीन किया जाएगा। **अधिसूचना की तिथि से नए फिटनेस केंद्र की अनुमति केवल भूतल पर और बेसमेंट में दी जाएगी।**

[फा. सं. के-12011/8/2019-डीडी-1]

वीरेन्द्र कुमार कुशवाहा,अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2020

S.O. 1090 (E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 3869 (E) dt. 26.10.2019 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within forty five days from the date of the said notice.

2. Whereas, objections / suggestions received with regard to the proposed modification have been considered by the Board of Enquiry and Hearing, set up by the Delhi Development Authority and also approved at the meeting of the Delhi Development Authority.

3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi–2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modifications:

MPD 2021	
Chapter 15: Mixed Use Regulations	
Existing Provisions	**Proposed Amendments / Modifications**
Para 15.3 **Para 15.3.2** The extent of mixed use permissible in various categories of colonies is further clarified as follows: **1. In colonies falling in categories A and B** (Second bullet) • "Other activity" restricted to guest houses, nursing homes and pre-primary schools, as defined in para 15.7.1, subject to conditions contained in para 15.7, in plots abutting roads of minimum 18m ROW in regular plotted development, since these activities are in the nature of 'Public and Semi-Public' facilities. New banks ~~**and fitness centres**~~, ~~**wellness centres**~~ and NGOs will not be permissible. Banks which existed as on 7.9.2006, fitness centres ~~**existed as on 12.8.2008**~~, wellness centres and NGOs which existed as on 7.2.2007, (as defined in para 15.7.1), in accordance with notifications issued in this regard from time to time, and are on plots abutting roads of minimum 18m ROW, on the date of notification, shall however, continue.	**Para 15.3** **Para 15.3.2** The extent of mixed use permissible in various categories of colonies is further clarified as follows: **1. In colonies falling in categories A and B** (Second bullet) • "Other activity" restricted to guest houses, nursing homes and pre-primary schools, as defined in para 15.7.1, subject to conditions contained in para 15.7, in plots abutting roads of minimum 18m ROW in regular plotted development, since these activities are in the nature of 'Public and Semi-Public' facilities. New banks and NGOs will not be permissible. Banks which existed as on 7.9.2006 and NGOs which existed as on 7.2.2007, ***fitness centres and wellness centres*** (as defined in para 15.7.1), in accordance with notifications issued in this regard from time to time, and are on plots abutting roads of minimum 18m ROW, on the date of notification, shall however, continue.
Para 15.7 Other Activity b. iii) Wellness Centers including Day Spas / Weight Loss Centres/Ayurvedic Centres offering Ayurvedic treatment/Salons offering fitness & aesthetic medical services ~~**and operating as on 7.2.2007.**~~ e. Fitness Centre (including gymnasium, yoga / meditation centre) ~~**as existed on 12.8.2008**~~.	**Para 15.7 Other Activity** b. iii) Wellness Centers including Day Spas / Weight Loss Centres/Ayurvedic Centres offering Ayurvedic treatment/Salons offering fitness & aesthetic medical services. e. Fitness Centre (including gymnasium, yoga / meditation centre).
Para 15.7.3 ~~iv)~~ Nursing Homes, Wellness Centres including Day Spas / Weight Loss Centres/ Ayurvedic Centres offering Ayurvedic treatment / Salons offering fitness & aesthetic medical services] operating in plots abutting Master Plan roads and Zonal Plan roads shall be permissible up to 100% of built up area and the limit on the size of the plot would not apply. vi) Pre-primary school (other than those on plots abutting commercial streets) shall be restricted only to the ground floor upto the permissible ground coverage. Fitness Centre (including Gymnasium, Yoga / Meditation Centre), ~~**(other than those on plots abutting commercial streets)**~~ is permitted on all floors. It is also permitted in the basement subject to relevant provisions of Building Bye Laws, structural safety norms and fire safety clearance. In case the use of basement leads to exceeding the permissible FAR on the plot, such FAR in excess shall be used subject to payment of appropriate charges prescribed with the approval of Government.	**Para 15.7.3** iv) Nursing Homes, Wellness Centres including Day Spas / Weight Loss Centres/ Ayurvedic Centres offering Ayurvedic treatment / Salons offering fitness & aesthetic medical services] operating in plots abutting Master Plan roads and Zonal Plan roads shall be permissible up to 100% of built up area and the limit on the size of the plot would not apply. ***New wellness centre from the date of notification shall only be allowed on ground floor and basement.*** vi) Pre-primary school (other than those on plots abutting commercial streets) shall be restricted only to the ground floor upto the permissible ground coverage. Fitness Centre (including Gymnasium, Yoga / Meditation Centre) is permitted on all floors. It is also permitted in the basement subject to relevant provisions of Building Bye Laws, structural safety norms and fire safety clearance. In case the use of basement leads to exceeding the permissible FAR on the plot, such FAR in excess shall be used subject to payment of appropriate charges prescribed with the approval of Government. ***New fitness centre from the date of notification shall only be allowed on ground floor and basement.***

[F.No. K-12011/8/2019-DD-I]

VIRENDRA KUMAR KUSHWAHA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.03.17 15:59:18 +05'30'